

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(4)गृह-1/2021

जयपुर, दिनांक : 03 NOV 2021

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 की अभिशंकाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला से चयन वेतन श्रृंखला में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	पदोन्नति दिनांक
1.	श्री घनश्याम शर्मा/कान्तीचन्द	सामान्य	01.04.2021
2.	श्री गणेशनाथ सिद्ध/रामनाथ	सामान्य	01.04.2021
3.	श्री बच्चन सिंह/रघुवीर सिंह	एसटी	01.04.2021
4.	श्री वीरेन्द्र कुमार/किशन मीणा	एसटी	01.04.2021
5.	श्री रामकृष्ण/गोवर्धनलाल	एसटी	01.04.2021

यह पदोन्नति मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. सिविल रिट पीटिशन सं. 13646/2021 के अंतिम निर्णय एवं माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। उक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे।

उक्त आरपीएस अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नौशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव गृह विभाग।
4. महानिदेशक पुलिस, राज0, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली



(गुरु प्रसाद शर्मा)

सहायक शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।



सहायक शासन सचिव, पुलिस